क्रीड़ा– परिषद का संविधान

डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय

क्रीड़ा–परिषद्

फैजाबाद (उ0प्र0)

क्रीड़ा– परिषद का संविधान

नाम और पता

इस परिषद का नाम डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय क्रीड़ा– परिषद, फैजाबाद होगा, जिसका मुख्यालय अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के परिसर में होगा। परिषद का अर्थ क्रीड़ा–परिषद से होगा तथा अवध विश्वविद्यालय का अर्थ डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से होगा।

उद्देश्य

1. अवध विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्व सभी महाविद्यालयों के प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र एवं छात्राओं को खेलकूद के माध्यम से राश्ट्रीय उत्थान में प्रोत्साहित करना।
2. खेलकूद जैसे चित्ताकर्षक माध्यम से छात्र–छात्राओं का सर्वागरण विकास करना।
3. अन्तर्महाविद्यालयीय एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगितायें आयेाजित कर खेलकूद के प्रति छात्र एवं छात्राओं में अभिरूचि पैदा करना।
4. महाविद्यालयों से प्राप्त अशंदान से उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कैपिटल नेचर का व्यय अवध विश्वविद्यालय करेगा। और आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहयोग भी देगा। विश्वविद्यालय के खेल कूद के स्तरोन्नयन के लिए क्रीड़ा परिषद् को अंश दान की राशि रुप में आर्थिक सहयोग भी देगा। विश्वविद्यालय खेल कूद का मैदान, बहुउद्देशीय हाल और स्टेडियम आदि का निर्माण कर उनके रख–रखाव की व्यवस्था करेगा।

क्रीड़ा– परिषद का गठन

क्रीड़ा– परिषद के गठन का प्रमुख दायित्व कुलपति अवध विश्वविद्यालय का होगा। कुलपति महोदय पदेन इस परिषद् के संरक्षक होगें। इसके अतिरिक्त इस क्रीड़ा– परिषद में एक अध्यक्ष,एक उपाघ्यक्ष, एक सचिव, दो उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष(विश्वविद्यालय वित्तअधिकारी पदेन) बारह सदस्य और दो अतिथि सदस्य होगें। विश्वविद्यालय कुलसचिव महोदय पदेन सदस्य रहेगें। सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मण्डल में से उपयुक्त पदाधिकारियों एंव सदस्यों का मनोनयन कुलपति महोदय इस प्रकार करेगें कि यथासंभव अधिकत्तर जिलों एवं महाविद्यालयो ंको प्रतिनिधित्व मिल जाय। विश्वविद्यालय क्रीड़ा– परिषद के प्रतिनिधियेां का चयन करतें समय सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रवक्ता, भारीरिक शिक्षा/ क्रीड़ा प्रभारियों को वरीयता दी जायेगी। कुलपति महोदय क्रीड़ा– परिषद में दो ऐंसे अतिथि सदस्यों का भी मनोनयन करेगे, जो किसी महाविद्यालय से सम्बद्ध न हो किन्तु खेल कूद के क्षेत्र में विशेष योग्यता एवं अनुभव रखते हो।

कार्य काल

क्रीड़ा– परिषद के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी का कार्य–काल सामान्यतया दो वर्ष का होगा। विशेष स्थिति में यदि कुलपति महोदय चाहें तो परिषद् के पदाधिकारियों के कार्यो कीय समीक्षा के बाद एक टर्म (दो वर्ष) का कार्यकाल और बढ़ा सकते है। परिषद् का कार्य–काल समाप्त होने पर उपर्युक्त ढ़ंग से पुनः गठन किया जायेगा।

क्रीड़ा– परिषद् के कार्य

(अ) क्रीड़ा– परिषद् सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के खेलकूद सम्बन्धी किसी भी व्यवस्था के प्रश्न पर अपना परामर्श एवं निर्देश देगी। यह अन्तर्महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित करेगी, उसकी पूरी देख–रेख करेगी और विश्वविद्यालय खेलकूद संघ (एसोशियन आफ इन्डियन यूनिवर्सिटीज,स्पोर्ट्स डिवीजन) द्वारा प्रस्तुत स्पोर्ट्स कैलेण्डर से ताल–मेल रखते हुए क्रीड़ा– परिषद् अन्तर्महाविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के लिए स्पोर्ट्स कैलेण्डर तैयार करेगी और अन्तर्महाविद्यालयीय एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीय समस्त आयोजनों के लिए वार्षिक बजट की भी स्वीकृति प्रदान करेगी।

(ब) परिषद् अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अवध विश्वविद्यालय की विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों के चयन एवं गठन की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी करेगी।

(स) यदि भारतीय विश्वविद्यालय खेलकूद संघ अवसर दें, तो अनुकूल परिस्थितियों में क्रीड़ा– परिषद अन्तर्विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करेगी। ऐसे अवसरों पर परिषद् स्मारिका भी प्रकाशित कर सकती है।

पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य

सरंक्षक :–

1. कुलपति, अवध विश्वविद्यालय, क्रीड़ा– परिषद के पदेन संरक्षक एवं सर्वोच्च अधिकारी होगें, जो क्रीड़ा– परिषद के सविंधान के अन्तर्गत खेलकूद सम्बन्धी सभी क्रिया–कलापों पर नियंत्रण एवं उसका निरीक्षण करेगे।
2. क्रीड़ा– परिषद के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मनोनयन करेगें एवं क्रीड़ा–परिषद् के सभी बैठकों में उपस्थित रहकर अपना संरक्षकत्व प्रदान करेगें।

अध्यक्ष :–

1. क्रीड़ा– परिषद की बैठकों की अध्यक्षता तथा परिषद् द्वारा पारित नियमों को ध्यान में रखते हुए परिषद् के सभी क्रिया–कलापों का निरीक्षण करेगा।
2. अध्यक्ष एवं सचिव पारस्परिक विचार–विमर्श कर वार्षिक बजट क्रीड़ा– परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं परिषद् से पारित करायेंगे।
3. आवश्यकता पड़ने पर यदि क्रीड़ा– परिषद के मामले को लेकर मतदान की स्थिति उत्पन्न हो, तो अध्यक्ष को ''टाई'' की स्थिति में निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसकी भूमिका निभायेगा। वह उन सारे दायित्वों का निर्वाह करेगा, जो अध्यक्ष उन्हें सौंपेगा।

सचिव :–

1. सचिव क्रीड़ा– परिषद का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होगा।
2. सचिव क्रीड़ा– परिषद की कार्यवाहियों से सम्बन्धित सभी पत्रावली की ब्योरेवार लेखा–जोखा रखेगा।
3. अध्यक्ष की राय से या आकस्मिक स्थितियो में स्वतः सचिव ही क्रीड़ा– परिषद की बैठक बुलायेगा।
4. परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा।
5. क्रीड़ा– परिषद की ओर से सभी प्रकार का पत्र व्यवहार करेगा। परिषद द्वारा स्वीकृत सभी निर्णयों पर परिषद की ओर से हस्ताक्षर करेगा।
6. आकस्मिक व्यय हेतु सचिव अपने पास रूपया 5000.00 (पॉच हजाार) रख सकेगा। इस धनराशि का उपयोग छोटे–छोटे आकस्मिक व्यय,भुगतानों एवं परिषद् की बैठकों के आयोजन पर ही किया जायेगा किन्तु बिना अध्यक्ष/कुलपति की पूर्वानुमति के वह रु0 पाँच हजार मात्र से अधिक धनराशि का व्यय नहीं करेगा। इस आकस्मिक धनराशि के व्यय जाने पर नियमानुसार समायोजित कर वह पुनः इतनी ही धनराशि को प्राप्त कर सकेगा।

उपसचिव :–

सचिव द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वाह उपसचिव करेगा। सचिव की अनुपस्थिति में वरिश्ठ उपसचिव सचिव की भूमिका का निर्वाह करेगा।

कोषाध्यक्ष :–

1. विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी पदेन परिषद् के कोषाध्यक्ष होगें।
2. महाविद्यालयों से प्राप्त अंशदान एवं अन्य सूत्रों से प्राप्त धनराशि का लेखा–जोखा रखेंगे।
3. कोषाध्यक्ष/कुलपति ही सभी भुगतानों की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

सदस्य गण :–

कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत सभी स्तरों के सदस्यगण क्रीड़ा– परिषद की बैठकों में विचाराधीन विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में अपने–अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे। मतदान की स्थिति उत्पन्न होने पर अतिथि सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा। बैठक में भाग लेने के लिए बुलाये जाने पर इन्हें मार्ग–व्यय एवं दैनिक भत्ता यहाँ से (परिषद् से) प्राप्त करने का अधिकार होगा।

बैठक

सत्रारम्भ एवं सत्रान्त में क्रीड़ा– परिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठक अवश्य होंगी। आकस्मिक स्थिति में बैठकें कभी भी बुलाई जा सकती है। संरक्षक सभी बैठकों में आमत्रित रहेंगे।

क्रीड़ा– परिषद की इकाइयों की सदस्यता एवं अंशदान :–

अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थागत छात्र एवं छात्रायें क्रीड़ा– परिषद के साधारण सदस्य होगें। भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी और भाोध–छात्र परिषद् के सदस्य नहीं माने जायेंगे। संस्थागत छात्रों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति, किसी भी महाविद्यालय का प्राध्यापक, अभिभावक, अधिकारी एवं

विश्वविद्यालय का कर्मचारी अथवा अधिकारी अन्तर्मविद्यालयीय एवं अन्तर्विद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेगा। नियमित छात्रों से 42=00 (बयालिस रुपये) वार्षिक क्रीड़ा–शुल्क महाविद्यालयों द्वारा लिया जायेगा(समयानुसार इस धनराशि में परिवर्तन किया जा सकेता है) जिसमें 10=00 (दस रुपये) प्रति छात्र की दर से एकत्रिक धनराशि सभी सम्बद्ध महाविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर इकाई प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक वित्त अधिकारी, डॉ रा0म0लो0अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के नाम बैंक ड्राफ्ट या क्रास चेक के द्वारा भेज देंगे। भोष धनराशि महाविद्यालय अपने महाविद्यालयीय खेलकूद से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो पर व्यय करेगे।सभी महाविद्यालय अपने खेल कोष का उपयोग महाविद्यालयीय एवं विश्वविद्यालयीय खेलकूद के अतिरिक्त किसी भी अन्य मद पर नही करेगे।

अवध विश्वविद्यालय क्रीड़ा– परिषद का अंशदान रुपया दस (10=00) प्रति छात्र प्रतिसत्र की दर से 31 अक्टूबर तक न भेजने वाले महाविद्यालय को विश्वविद्यालय क्रीड़ा– परिषद द्वारा संचालित किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका जा सकता है। उनको अन्तर्मविद्यालयीय एवं अन्तर्विद्यालयीय प्रतियोगिता आयोजित कराने से भी रोका जा सकता है। अवध विश्वविद्यालय क्रीड़ा– परिषद को देय अंशदान बिना पूर्वानुमति के कोई भी महाविद्यालय किसी भी प्रकार से सामयोजित नहीं कर सकेगा। महाविद्यालयों द्वारा देय अ0वि0 क्रीड़ा– परिषद का क्रीड़ा अंशदान परीक्षाफार्म के जमा होने के साथ ही महाविद्यालयो द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। क्रीड़ा भुल्क के बिना परीक्षाफार्म न जमा हो, इस कार्यवाही की पुश्टि हेतु कुलसचिव एवं वित्तअधिकारी महोदय व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

वित्त एवं लेखा जोखा

क्रीड़ा– परिषद किसी बैंक में 'सेंविग एकाउण्ट' खोलेगी, जिसमें सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय आवासीय इकाई से प्राप्त अशंदान की धनराशि जमा की जायेगीं। क्रीड़ा– परिषद के लिए अन्य स्त्रोत से प्राप्त दान या सहायता की धनराशि भी इसी खाते में जमा की जायेगीं। क्रीड़ा– परिषद द्वारा स्वीकृत बजट के आधार पर सचिव द्वारा संस्तुति एवं अध्यक्ष/कुलपति द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् धनराशि निकालने, आय की धनराशि जमा करने, प्रस्तुत बिलों की जॉच एवं भुगतान तथा आय–व्यय के लेखे–जोखे को रखने का कार्य कोषाध्यक्ष (वित्त अधिकारी), क्रीड़ा– परिषद अवध विश्वविद्यालय करेगे।

आय व्यय का सम्पूर्ण विवरण प्रति वर्ष 30 जून सभी सम्बद्ध इकाईयों को प्रेषित कर दिया जायेगा। सत्रान्त में क्रीड़ा– परिषद अपने आय व्यय का आडिट(संप्रेक्षण) करेगा। यह कार्य किसी अवैतनिक/वैतनिक आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

क्रीड़ा– परिषद अनुमानित आय के आधार पर निम्नलिखित व्यय मदों को ध्यान में रख कर अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत करेगीः–

1. अन्तर्महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजक महाविद्यालयों को दी जाने वाली सहायता धनराशि।
2. अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीमों को भेजने पर आने वाला व्यय।
3. क्रीड़ा– परिषद के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का मार्ग व्यय एवं दैनिक भत्ता।
4. विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं टीम के मैनेजर को विभिन्न भत्ते एवं पारिश्रमिक (मानदेय)।
5. किसी कर्मचारी के परिषद् के कार्य से की गयी यात्रा सम्बन्धी भत्ते।

6. भारतीय विश्वविद्यालय खेलकूद संघ, नई दिल्ली द्वारा सौंपे गये क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय किसी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन पर होने वाला व्यय।
7. खेलकूद के आवश्यक सामानों की खरीद पर होने वाला व्यय।
8. खिलाड़ियों के लिए खेल वस्त्र (किट) की खरीद पर होने वालाा व्यय।
9. परिषद् की बैठकों में जलपान की व्यवस्था पर खर्च।
10. खिलाड़ियों को पुरस्कार देने हेतु सामग्रियों की खरीद पर व्ययं।
11. किसी प्रतियोगिता के आयोजन पर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर होने वाला व्यय।
12. विश्वविद्यालय की विभिन्न टीमों के प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च।
13. क्रीड़ा– परिषद के कार्यालय के स्टेशनरी आदि पर होने वाला खर्च।
14. अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलकूद संघ, नई दिल्ली का सम्बद्धीकरण भाुल्क।
15. क्रीड़ा– परिषद की पूर्व अनुमति के आधार पर खेलकूद सम्बन्धी कोई भी व्यय।

क्रीड़ा– परिषद से सम्बद्ध सभी इकाईयों को निर्देश

अवध विश्वविद्यालय क्रीड़ा– परिषद की प्रत्येक इकाई अपने यहां खेलकूद परिषद् का गठन करेगी, जिसका संविधान महाविद्यालय तथा आवसीय इकाई की सीमाओं का ध्यान रखते हुए यथासंभव उ0प्र0 भाासन द्वारा निर्गत नियमों के आधार पर होगा। सभी इकाईयाँ अपने यहाँ की खेल निधि से खेलकूद विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और प्रभारी,खेलकूद विभाग का पारिश्रमिक दे सकती है।

अन्तर्महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगितायें

क्रीड़ा– परिषद द्वारा निर्धारित स्पोर्ट्स कैलेण्डर के आधार पर जिस इकाई को जिन अन्तर्महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन का दायित्व सौंपा जायेगा,वह प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय आने वाली टीमों ठहरने की व्यवस्था करेगा। इस इकाई का प्रवक्ता, शिक्षा/प्रभारी प्राध्यापक उक्त प्रतियोगिता के आयोजन सचिव के रुप में कार्य करेगा। उक्त प्रतियोगिता के आयोजन हेतु क्रीड़ा– परिषद आंशिक निश्चित धनराशि सहायता के रुप में देगा।आयोजन सचिव उक्त प्रतियोगिता सम्बन्धी सभी पत्र–व्यवहार और निर्णायकों की व्यवस्था करेगा। सम्बद्ध इकाइयों द्वारा प्रेषित उनके सभी खिलाड़ियों की योग्यता प्रमाण–पत्र एवं परिचय–पत्र एकत्रित कर पर्यवेक्षकों की सहायता से परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर उसकी जॉच करेगा।

प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु टाई (फिक्सचर) डालकर सभी प्रतिस्पर्धी इकाइयों को सूचना प्रेषित करेगा। क्रीड़ा– परिषद द्वारा प्रेषित किसी अधिकारी द्वारा अथवा पर्यवेक्षक के माध्यम से सभी प्रतिस्पर्धियों को प्रतियोगिता के तत्काल बाद प्रमाण–पत्र दिलवाने की व्यवस्था करेगा। अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धी इकाइयाँ अपने खिलाड़ियों के लिए किट, जर्सी और आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था स्वयं करेगी।

सम्बद्ध सभी इकाइयों के प्राचार्य योग्यता–प्रपत्र पर अपने महाविद्यालय से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से सम्बन्धित सभी आवश्यक सूचनायें, जो योग्यता–प्रपत्र में (इलिजीबिल्टी प्रोफार्मा) मांगी

गई है, प्रेषित करेंगे। वे योग्यता–पत्र पर भी हस्ताक्षर करेंगे। योग्यता–प्रपत्र में खिलाड़ियों के नाम तथा अन्य सूचनायें स्पश्ट अक्षरों में हिन्दी में भरे होने चाहिए। किसी अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में जब तीन से कम टीमें सम्मिलित होंगी, तो उसे निरस्त माना जायेगा।

अन्तर्महाविद्यालयीय एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की अर्हतायें

1. वे ही खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे, जिनके पास वर्तमान सत्र का नवीनतम् फोटोग्राफ युक्त परिचय–पत्र अनिवार्य रुप से सिर्फ प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. जिनके उम्र वर्तमान सत्र में 1 सितम्बर तक 25 वर्ष से अधिक न हो।
3. इण्टरमीडिएट पास करने के वर्ष से वर्तमान सत्र तक 7 वर्ष से अधिक समय न व्यतीत हुआ हो।
4. बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0काम0, बी0एस–सी0, कृषि, बी0पी0ई0 और एल–एल0बी0 के लिए 4 वर्ष। एम0ए0, एम0एस–सी0,एम0काम0, एम0एस0–सी0 कृषि में 3 वर्ष तथा बी0एड्0 एवं बी0पी0एड्0 के लिए दो वर्ष से अधिक का समय उत्तीर्ण करने में न लगा हो।
5. कहीं नौकरी न कर रहा हो।

अवध विश्वविद्यालय की टीमों का चयन

किसी भी खेल से सम्बन्धित अवध विश्वविद्यालय टीम का चयन एक 'चयन समिति' करेगी। क्रीड़ा– परिषद, अवध विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त इस चयन समिति में आयोजन सचिव, पर्यवेक्षक,प्रथम और द्वितीय सम्मिलित होंगे। अध्यक्ष एवं सचिव की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति परिषद् के सचिव द्वारा की जाएगी। यही चयन समिति उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए 'ट्रिब्यूनल' का भी दायित्व निभायेगी।

किसी टीम के खिलाड़ियों के चयन का आधार होगा–प्रतियोगिता में खेल का अच्छा प्रदर्शन, खेल का पूर्वानुभव और आद्योपान्त अनुशासित आचरण। टीम खेलों में यदि कोई इकाई पूरी टीम नहीं भेज पाती है, तो अपने सबसे अच्छे कुछ खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय टीम में चयन हेतु भेज सकती है। अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता के दौरान चयन हेतु बाहर से आये हुए खिलाड़ियों के खेल का प्रदर्शन चयन समिति देखेगी और इनमें से भी योग्य खिलाड़ियें को विश्वविद्यालय टीम के लिए चुन सकती है। विश्वविद्यालय टीम का चयन मुख्यतया अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियें के खेल के प्रदर्शन के आधार पर होगा।

पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर या किसी कारणवश किसी खेल का अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन समय पर न हो पाने के कारण क्रीड़ा– परिषद किसी भी स्थान पर खिलाड़ियों को बुलाकर पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में फाइनल सेलेक्शन ट्रायल आयोजित कर किसी खेल के लिए विश्वविद्यालय टीम का चयन करवा सकती है।

कप्तान और उपकप्तान का चयन

कप्तान और उपकप्तान का चयन करते समय चयन समिति खिलाडी के उत्तम खेल, अनुशासन और अनुभव को प्राथमिकता देगी। जिन खिलाड़ियों को वर्तमान प्रतियोगिता से पूर्व अवध विश्वविद्यालय टीम में लिया जा चुका हो, उन्हें कप्तान और उपकप्तान पद पर चयन में वरीयता दी जायेगी। एक से अधिक दावेदार की उपस्थिति में अन्य अर्हताओं के साथ–साथ उनके उम्र और कक्षा के आधार पर चयन किया जायेगा। कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल में एक बार से अधिक कप्तान नहीं हों सकता है।

पर्यवेक्षक :–

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं की शुद्धता, वैधता और निश्पक्षता बनाये रखने के लिए अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में क्रीड़ा– परिषद दो पर्यवेक्षकों को भेजेगी। पर्यवेक्षक प्रथम निश्चित रुप से सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा आवसीय इकाई का कोई खेल विशेष का जानकार एवं अनुभवी प्राध्यापक अथवा प्रवक्ता, भारीरिक शिक्षा होगा। क्रीड़ा– परिषद सभी इकाइयों के खेलकूद में रुचि रखने वाले अनुभवी एवं प्रशिक्षण प्राप्त प्राध्यापकों की विभिन्न खेलों का ध्यान रखकर एक सूची तैयार करेगी। इसी सूची में से सचिव क्रीड़ा– परिषद पर्यवेक्षकों का चुनाव करेंगे।

पर्यवेक्षक द्वितीय के रुप में जिला एवं मण्डलीय खेलकूद अधिकारी, विभिन्न खेलों के बाहर के खेल विशेषज्ञ आदि नियुक्त किये जा सकते है।

पर्यवेक्षक का दायित्व :–

1. क्रीड़ा– परिषद द्वारा पारित नियमों के अन्तर्गत प्रतियोगिता के संचालन की देख–रेख करना, जिससे निर्णयों में पक्षपात या नियमों का उल्लंघन न होने पाये।
2. विश्वविद्यालय टीम का निश्पक्ष रुप से चयन करना तथा इसकी गोपनीयता बनाये रखना।
3. आयोजकों से सम्पर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता रोकना एवं खिलाड़ियों में खेलकूद की भावना बनाये रखना।
4. उत्पन्न विवादों का नियमानुसार तत्काल तटस्थ निर्णय करना।
5. आयोजन सचिव के साथ मिलकर खिलाड़ियों का योग्यता प्रपत्र, प्रतियोगिता आयोजन के सम्बन्ध में अपने विस्तृत रिपार्ट में भाग लेने वाली टीमों के नाम तथा विजेता एवं उपजेता टीमों के नाम अवश्य लिखें विश्वविद्यालय टीम के चयन का प्रपत्र तथा याचिका शुल्क (प्रोटेस्ट फी) यदि कोई हो,आयोजन सचिव से लेकर क्रीड़ा– परिषद के सचिव के पास स्वतः या पंजीकृत डाक से भेजना। डाक व्यय का भुगतान परिषद् करेगी।

नोट –

विश्वविद्यालय टीम की सूची पर दोनो पर्यवेक्षकों एवं आयोजन सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। पर्यवेक्षक प्रतियोगिता की पूरी अवधि तक प्रतियोगिता स्थल पर बनें रहेंगे। सभी निर्णयों में दोनों पर्यवेक्षक समान रुप से सहभागी होंगे।

न्याय समिति (ट्रिब्युनल) –

प्रतियोगिता के दौरान उत्पन्न सभी विवादों का तात्कालिक निर्णय दोनों पर्यवेक्षकों एवं आयोजन सचिव को मिलाकर बने एक ट्रिब्यूनल द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की आपत्ति केवल टीम मैनेजर ही करने के लिए अधिकृत होंगे। आपत्ति लिखित रुप में आपत्ति भुल्क 300=00 (तीन सौ रुपये मात्र) के साथ जमा होना अनिवार्य है। बिना आपत्ति भुल्क के आपत्ति पत्र का कोई वैधानिक रुप नहीं होगा तथा वह स्वीकार्य नहीं होगा। किसी इकाई के खिलाड़ी द्वारा की गयी आपत्ति पर अथवा प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद की गई आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा। किसी निर्णय पर पुनः विचार करने का अधिकार संरक्षक महोदय को होगा।

खिलाड़ियों और टीम मैनेजर का यात्रा एवं

दैनिक भत्ता– (सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए)

प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रत्येक इकाई अपनी टीम के खिलाड़ियों एवं टीम मैनेजरों के लिए टी0ए0/डी0ए0एवं आवश्यकतानुसार यातायात सुविधा हेतु वाहन की व्यवस्था करेगी। खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता के रुप में 100=00 (एक सौ रुपये) तथा उपलब्ध यातायात सुविधा का वास्तविक किराया देय होगा। मैनेजर को पर्यवेक्षक की भांति यात्रा, दैनिक एवं अन्य व्यय सम्बन्धित इकाइयों द्वारा होगा।

अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों मैनेजर एवं कोच के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता :–

अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन रु0 100=00 (एक सौ रुपये मात्र) दैनिक भत्ते के रुप में दिया जायेगा। यह दैनिक भत्ता टीम के जाने के दिन से तथा टीम के वापस आने के दिन तक दिया जायेगा। मैच समाप्ति के एक दिन बाद तक वापस लोटना जरुरी होगा। खिलाड़ियों को अवध विश्वविद्यालय से गन्तव्य स्थान तक ले जाने व वापस लाने की जिम्मेदारी क्रीड़ा–परिषद् अर्थात टीम के मैनेजर की होगी। खिलाड़ियों को रेलवे के द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा होगी। क्रीड़ा–परिषद रेलवे कन्सेशन टिकट और आरक्षण की व्यवस्था करेगा। यह सुविधा समय पर उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा। टीम मैनेजर, खिलाड़ियों को गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने व वापस लाने में रिक्शा, टैम्पो, टैक्सी या बस का किराया देगा।

विश्वविद्यालय मैनेजरों, पर्यवेक्षकों और कोच को टी0ए0,डी0ए0 और मानदेय विश्वविद्यालय क्रीड़ा–परिषद नियमानुसार प्राप्त होगा। खिलाड़ियों को प्रतिदिन दिया जाने वाला दैनिक भत्ता समय–समय पर परिवर्तनीय होगा।

अवध विश्वविद्यालय टीम मैनेजरों का दायित्व

विभिन्न अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में अवध विश्वविद्यालय की टीम के साथ जाने वाले मैनेजरों और कोचों की नियुक्ति, क्रीड़ा–परिषद् सभी इकाइयों के प्राध्यापकों में से उस खेल में विशेष अनुभव रखने के आधार पर करेगी। परिषद् के सदस्यों को वरीयता दी जायेगी। टीम मैनेजर को टीम के

आने–जाने का पूरा अनुमानित व्यय, रेलवे कन्सेशन (यदि सुलभ हो) योग्यता–प्रपत्र आदि सचिव, क्रीड़ा–परिषद् से कुछ दिन पूर्व प्राप्त कर लेना चाहिए। प्रतियोगिता से लौटने के एक सप्ताह के भीतर खेल और खिलाड़ियों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट के साथ व्यय का पूरा विवरण बिल व वाउचरों के साथ, क्रीड़ा–परिषद को देना होगा।

यात्रा प्रारम्भ के पूर्व सभी खिलाड़ियों के परिचय–पत्र पर सचिव क्रीड़ा–परिषद् का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए और विश्वविद्यालय टीम के मैनेजर के रुप में प्रतियोगिता के आयोजन सचिव के नाम परिचय–पत्र सचिव क्रीड़ा–परिषद् से अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता, यूनीफार्म,(किट) और ट्रैक–सूट देने पर उनसे प्राप्ति का अलग–अलग कागज पर हस्ताक्षर अवश्य करा लेना चाहिए। जो सामान क्रीड़ा–परिषद् को वापस किया जाना है, उसकी जिम्मेदारी मैनेजर की ही होगी। वापस किये जाने वाले सामान जैसे सभी खेलो के बाल (वालीबाल, हैण्डबाल, बास्केटबाल, फुटबाल, खेले जा चुके तथा नये क्रिकेट और हाकी बाल, विश्वविद्यालय का झण्डा आदि)

खिलाड़ियों को अपने महाविद्यालय से अवध विश्वविद्यालय तक आने–जाने का टी0ए0/डी0ए0 उनके महाविद्यालय से ही प्राप्त होगा तथा फैजाबाद से अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजन स्थल तक का टी0ए0/डी0ए0 क्रीड़ा–परिषद् द्वारा दिया जायेगा। जबकि मैनेजर और कोचों को टी0ए0 और डी0ए0 क्रीड़ा–परिषद् से विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कौंसिल के नियमानुसार दिया जायेगा। किसी खिलाड़ी के अस्वस्थ हो जाने पर या चोट लग जाने पर वहॉ के जिस डॉक्टर से दवा कराई जाय,उससे व्यय की धनराशि की रसीद अवश्य प्राप्त कर ली जाय या वहाँ के दवा की दुकान से दवा खरीदने की पक्की रसीद अवश्य प्राप्त कर ली जाय, अन्यत्र स्थालों की रसीद मान्य नहीं होगा।

टीम मैनेजर और कोच के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वे अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजन सचिव से अपने पहूँचने और प्रस्थान करने का प्रमाण–पत्र अवश्य लें ले और अपने टी0ए0 और डी0ए0 बिल के साथ आवश्य संलग्न करें। स्मरण रहे कि अपनी टीम का मैच जिस दिन समाप्त हो जाए, उसके चौबीस घण्टे के भीतर अपनी वापसी यात्रा भुरु कर देनी चादिए। अधिक दिनों तक बिना किसी अकाट्य कारण के रुकने पर मैनेजर, कोच और सभी खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता और मानदेय नहीं होगा।

क्रीड़ा–परिषद् के तत्त्वावधान में आयोजित होने वाली विभिन्न खेलों की प्रतियोगितायें एवं विश्वविद्यालय टीम के खिलाड़ियों की संख्या

क्रीड़ा–परिषद् निम्नलिखित अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी। यथा परिस्थिति एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। इन्हीं प्रतियोगिताओं के दौरान निर्धारित संख्या में विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा।

1. क्रिकेट – 16
2. हॉकी – 16
3. फुटबाल – 16

4. वालीबाल –12
5. बास्केटबाल –12
6. हैण्डबाल – 12
7. कबड्डी – 12
8. बैडमिण्टन (पु0) –7 (म0) –4
9. खो–खो (पु0) –12 (म0) –12
10. भातरंज – 4+2=6
11. टेनिस – 4
12. कुश्ती प्रत्येक वनज में एक–एक
13. तैराकी प्रत्येक स्टाइल में दो – 8
14. टेबुल टेनिस पु0 एवं महिला – 5 व 4
15. एथलेटिक्स – प्रत्येक आइट्म्स में दो खिलाड़ी (भारतीय क्रीड़ा संघ द्वारा प्रेषित मानक के अनुसार)

विभिन्न खेलों के लिए निर्धारित यूनीफार्म

महाविद्यालय अपनी सुविधानुसार इसकी व्यवस्था करेंगे

1. क्रिकेट – सफेद भार्ट, सफेद फुल पैण्ट, जूता, मोजा पुलोवर और काउण्टी कैप।
2. हॉकी – जर्सी, हाफ पैण्ट, जूता, मोजा और शिन गार्ड।
3. फुटबाल – स्पोर्ट्स भार्ट, हाफ पैण्ट, फुटबाल बूट, इन्कलेट और गोल कीपर के लिए हैण्ड ग्लब्स।
4. वालीबाल – बनियाइन, जांघियॉ, जूता–मोजा और नी कैप।
5. बास्केटबाल – बनियाइन, जांघियॉ, या हाफ पैण्ट, जूता और मोजा।
6. कबड्डी – बनियाइन, जांघियॉ, जूता और मोजा, नी–कैप।
7. बैडमिण्टन – (पुरुष) सफेद भार्ट, सफेद हाफ पैण्ट, जूता और मोजा। (महिला) सफेद स्कर्ट, सफेद जर्सी या सफेद भार्ट, हाफ पैण्ट, जूता और मोजा।
8. टेबुल टेनिस – (पुरुष) रंगीन भार्ट, रंगीन हाफ पैण्ट, जूता और मोजा। (महिला) रंगीन स्कर्ट, रंगीन जर्सी या सफेद भार्ट, हाफ पैण्ट, जूता और मोजा।
9. टेनिस – सफेद भार्ट, सफेद हाफ पैण्ट, जूता और मोजा।
10. एथलेटिक्स – बनियाइन, जाधियाँ, वार्म अप भाूज, स्पाईक और मोजा।
11. हैण्डबाल – बनियाइन, जाधियाँ, जूता और मोजा।
12. खो–खो – बनियाइन, जाधियाँ, जूता और मोजा।
13. कुश्ती – कुश्ती कास्ट्यूम, जूता और मोजा।
14. तैराकी – स्वीमिंग कास्ट्यूम, टोपी (कैप)
15. भातरंज – भार्ट, फुल पैण्ट, जूता और मोजा।

विभिन्न खेलो के लिए चुनी गयी अवध विश्वविद्यालय टीम के खिलाड़ियों को जो अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजे जायेंगे क्रीड़ा–परिषद् उन्हें खेल विशेष के

आधार पर निर्धारित यूनीफार्म के सामनों की खरीद के लिए एक निश्चित धनराशि रुपये 300 (तीन सौ रुपये) खर्च करेगी। यह खरीद क्रीड़ा–परिषद् द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा। यूनीफार्म के अतिरिक्त अन्य सामान खिलाड़ी स्वयं एकत्रित करेगा। अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को ट्रैक–सूट के स्थान पर क्रिकेट किट दिया जायेगा जिसका अधिकतम मूल्य 1000/–रुपये से अधिक न होगा।

विशेष – यूनीफार्म और ट्रैक–सूट की निश्चित धनराशि समय–समय पर मंहगाई को देखते हुए क्रीड़ा–परिषद् बढ़ा सकती है।

अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ किसी क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व क्रीड़ा–परिषद को सौंपा जाता है, तो परिषद् ऐसी स्थिति में अपनी बैठक में उक्त प्रतियोगिता के आयोजन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करेगी। आयोजन सचिव का दायित्व सचिव क्रीड़ा–परिषद् अवध विश्वविद्यालय को दिया जायेगा। किन्हीं परिस्थितियों में उसकी अस्वीकृति की दशा में परिषद् सदस्य को यह दायित्व सौंपगी। प्रतियोगिता के सृचारु रुप से संचालन को ध्यान में रखकर परिषद् अपने सदस्यों के अतिरिक्त सम्बद्ध इकाइयों के प्राध्यापकों, कर्मचारियों तथा सम्बद्ध क्षेत्र के अन्यान्य कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों को प्रतियोगिता सम्बन्धी विभिन्न दायित्व सौंप सकती है। चूँकि यह प्रतियोगिता सम्पूर्ण विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित की जायेगी, अतः कुलपति एवं संरक्षक, क्रीड़ा–परिषद् अवध विश्वविद्यालय की अनुमति इसके लिए आवश्यक होगी।

नोट :– क्रीड़ा–परिषद् द्वारा समय–समय पर खेल सम्बन्धी पारित नियम इस नियमावली (संविधान) का ही एक अंग माना जायेगा, जिसका पालन सभी सम्बद्ध इकाइयों द्वारा अनिवार्य होगा।

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आयोजक महाविद्याालय को क्रीड़ा–परिषद् द्वारा आंशिक आर्थिक सहायता प्रदान करने की धनराशि :–

1. क्रिकेट – 4000/–रुपये
2. हॉकी (पु0 एवं म0) – 2000/– रुपये प्रत्येक को
3. फुटबाल (पु0 एवं म0) – 2000/– रुपये प्रत्येक को
4. वालीबाल (पु0 एवं म0) – 1500/– रुपये प्रत्येक को
5. बास्केटबाल (पु0 एवं म0) – 1500/– रुपये प्रत्येक को
6. कबड्डी (पु0 एवं म0) – 1500/– रुपये प्रत्येक को
7. बैडमिण्टन (पु0 एवं म0) – 1000/– रुपये प्रत्येक को
8. टेबुल – टेनिस (पु0 एवं म0) – 1000/– रुपये प्रत्येक को
9. टेनिस – 1000/– रुपये
10. एथलेटिक्स (पु0 एवं म0) – 7500/– रुपये
11. हैण्डबाल (पु0 एवं म0) – 1500/– रुपये प्रत्येक को
12. खो–खो (पु0 एवं म0) – 1500/– रुपये प्रत्येक को
13. कुश्ती – 1500/– रुपये

14. तैराकी – 1000/– रुपये

15. भातंरज – 1000/– रुपये

16. जिम्नास्टिक्स –1500/– रुपये

नोट – उपरोक्त निश्चित धनराशि क्रीड़ा–परिषद् द्वारा परिवर्तनीय होगी।

क्रीड़ा–परिषद् द्वारा नये संशोधित संविधान (नियमावली) की स्वीकृति का दिनांक : 18 सितम्बर, 2003

तथा

कार्य परिषद्, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा इस संविधान (नियमावली) को पारित करने का दिनांक : 13.01.2004

(ओम प्रकाश पिपिल)
वित्त अधिकारी

(आर0एस0 यादव)
कुलसचिव

(डॉ0 एस0 बी0 सिंह)
अध्यक्ष, क्रीड़ा–परिषद्

(डॉ0 एस0 बी0 सिंह)
सचिव, क्रीड़ा–परिषद्

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद

संकलनकर्ता –

मुरारीलाल जायसवाल, अवकाश प्राप्त रीडर, भारीरिक शिक्षा,

कामताप्रसाद सुन्दरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।